

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2257]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 2014/कार्तिक 14, 1936

No. 2257]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2014/KARTIKA 14, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर, 2014

सं. 96 (आर. ई. 2013)/2009-2014

विषय :-आन्ध्र प्रदेश सरकार और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा लाल सैन्डर्स की लकड़ी के निर्यात हेतु समय बढ़ाने के संबंध में ।

का.आ. 2829(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 1.3 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा, दिनांक 24.10.2013 की अधिसूचना सं. 47 (आरई-2013) 2009-2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

2. दिनांक 24.10.2013 की अधिसूचना सं. 47 (आरई-2013)/2009-2014 के पैरा 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"4. आन्ध्र प्रदेश सरकार और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) लाल सैन्डर्स की लकड़ी की संबंधित मात्रा के निर्यात हेतु अपनी संबंधित प्राधिकृत हस्तियों (एन्टिटीज) को मात्रा के आवंटन सहित प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप देंगे और 30 अप्रैल, 2015 तक निर्यात की समस्त प्रक्रिया पूरी करेंगे। यह माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेश अथवा वर्ष 2007 की रिट याचिका सं. 29273 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष किए गए निवेदन अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित ऐसे किसी आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होगा।"

3. **इस अधिसूचना का प्रभाव :**

लाल सैन्डर्स की लकड़ी की संबंधित आबंटित मात्रा की प्रक्रियाओं और निर्यात को अन्तिम रूप देने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार और राजस्व आसूचना महानिदेशालय (डीआरआई) को और समय दिया गया है।

□[फा. सं. 01/91/180/1380/एम12/निर्यात प्रकोष्ठ]

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2014

No. 96 (RE- 2013)/2009-2014

Subject : Extension of time for export of Red Sanders wood by Government of Andhra Pradesh & Directorate of Revenue Intelligence (DRI).

S.O. 2829(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended, read with paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2009-14 the Central Government hereby makes the following amendment in Notification No. 47 (RE-2013)/2009-2014 dated, 24.10.2013.

2. Para 4 of the Notification No. 47 (RE-2013)/2009-2014 dated 24.10.2013 is substituted as under:

“4. Government of Andhra Pradesh and Directorate of Revenue Intelligence (DRI) shall finalize the modalities, including allocation of quantities to their respective authorized entities for export of the respective quantities of Red Sanders wood and shall complete the whole process of export latest by 30th April, 2015. This shall be subject to such orders, as passed by the Hon’ble High Court of Madras or such submissions as made before the Hon’ble High Court of Madras in WP No. 29273 of 2007 or such orders as passed by any other court, if any.”

3. Effect of this notification:

More time has been allowed to the Government of Andhra Pradesh & Directorate of Revenue Intelligence (DRI) to finalize the modalities and export of respective allocated quantity of Red Sanders wood.

[F. No. 01/91/180/1380/AM12/Export Cell]

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade